उत्तरांचल शासन
ग्राम्य विकास विभाग
संख्या 284 ग्रा.वि.वि./2002
देहरादून दिनांक 26 दिसम्बर 2002

कार्यालय ज्ञाप

18 दिसम्बर 2002 को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रगति समीक्षा के अवसर पर उत्तरांचल के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों द्वारा अवगत कराया गया कि जिन समूहों में 10 से अधिक सदस्य हैं उन्हें वित्त पोषण करते समय 3.00 लाख से अधिक परियोजना लागत हेतु कोलेटरल सिक्यूरिटी देनी आवश्यकीय है अन्यथा उन्हें वित्त पोषित नहीं कराया जा सकता है.

2. इन संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 10 से अधिक सदस्यों के समूहों को वित्त पोषित करने हेतु दो समूहों में विभक्त कर दिया जाये तथा उनकी आस्तियां एवं दायित्व भी उसी अनुपात में विभाजित किये जायें. विभाजित समूह का बैंकों में खाता खोलकर उसके सदस्यों द्वारा जमा की गयी धनराशि तथा रिवाल्विंग फंड भी उसी अनुपात में उक्त खाते में स्थानान्तरित कर दिया जाये. चूंकि यह कार्यवाही वित्त पोषण हेतु की जा रही है अतः इन समूहों की अवधि पूर्ववत गठित तिथि से ही मानी जाये, ताकि समूहों को उक्त प्रकार की थर्ड पार्टी गारन्टी अथवा कोलेटरल सिक्यूरिटी (Colateral Security) आदि न देनी पड़े।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

संजीव चोपड़ा
सचिव

पत्रांक 284/ग्र.वि.वि./एसजीएसवाई/2002 दिनांक उक्त
प्रतिलिपि
1. समस्त परियोजना निदेशक डीआरडीए, उत्तरांचल
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल

3. समस्त लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उत्तरांचल
4. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उत्तरांचल
5. उपमहाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून/बरेली
6. जोनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून
7. क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक आफ बड़ोदा, देहरादून
8. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय पौड़ी।

आज्ञा से

नम्रता कुमार
अपर सचिव